

संख्या:- 2102 / 111(2) / 10-52(एम0एल0ए0) / 2015

प्रेषक
अरविन्द सिंह ह्यांकी,
प्रभासी राधिव,
उत्तराखण्ड शासन।

1702
5505/CA-211

सेवा
प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 11 जुलाई, 2016

विषय- जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत विभिन्न 04 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक गुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0ए0वि0, अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 04 कार्यों के आगमनों, जिनकी कुल लागत 18.00/01 से 158.76 लाख है, पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 158.76 लाख (एक करोड़ अठ्ठावन लाख छियात्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में संलग्नक के कॉलम सं0-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 04 कार्यों हेतु ₹ 0.40 लाख (एक चालीस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तबोपरान्त शासनादेश सं0:-1764 / 111(2) / 10-17(सागान्य) / 2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवधानुसार विस्तृत परिचयना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परिचयना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगमन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो वरें थ्रुटूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका सामायोजन विस्तृत आगमन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगमन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उरही मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोव्यूरोगेन्ट रुल्स-2008 एवं उक्त के नियम में समय समय पर निर्मित समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट गैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य राधिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:-2047 / XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्मित आदेशों का कार्य कराते समय या आगमन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगमनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, गूटिलिटी शिपिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22-लेखापीडक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परियोजना-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(४) — रक्षित विद्या वह काया की गुणवत्ता एवं सम्यक्त्व का सम्यक् साधित अविद्या का

[illegible][illegible]

(X) मन्त्रालय के कर्मचारी द्वारा जारी किए गए आदेशों के अन्तर्गत निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जाती हैं -

[illegible]

(3) यह आदेश निम्न अनुभाग-2 के अनुसूचित वर्गों के पदों पर भर्ती करने के लिए है।

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

IT-1-2102 / 11(2) / 16-52(74047040) / 2016 गृहविभाग।

[illegible]

॥ मातोश्याकर (तथा प्रया), आभार्य मादर्य बलिङ्ग, माता प्रयाङ्गः ।
॥ आभार्य, प्रयाङ्ग, प्रयाङ्ग, प्रयाङ्ग ।

॥ गुरु आश्रयत्वात्, शरीरं कथयन्ति, तत्रैव विद्यते, अन्तर्बहिः ॥

5. ସାହାସିକ ମୂଲ୍ୟ / ସହିତ କର୍ମାଚାରୀ, ପ୍ରମାଣପତ୍ର

6. ଭିତ୍ତ ଗଠନ-2, ଉପରାଞ୍ଚିତ ଥାଏ ।

[illegible][illegible]

10. गति शक्ति ।

()
1911

ደብዳቤ ነፃ
(ሆገቶክ ጠልላለሁ)
ገደ ስፍሃ

Handwritten signature and date: 12/12/12

शा0 सं0:- 2102/111(2)/16-52(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 01 जुलाई, 2016 का संलग्नक

| क्र. सं0 | कार्य का नाम | (घनराशि लाख र में) | | |
|----------|---|----------------------------|------------------------|--|
| | | लम्बाई
किमी0/मी0
में | कुल
रखीकृत
लागत। | चालू वित्तीय वर्ष
में अवमुक्त की
जा रही
घनराशि। |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | एस.सी.एस.पी. के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-अल्मोड़ा के विकास खण्ड भैसियाछाना के नौगांव से कनारीछिना मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। | 4.00
+15mtr. | 14.58 | 0.10 |
| 2 | जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-अल्मोड़ा के अन्तर्गत दल बैण्ड से हरीश देवड़ी मोटर मार्ग का विस्तार (नव निर्माण) किमी. 2.00 से 5.00 तक निर्माण कार्य। | 3.00 | 10.14 | 0.10 |
| 3 | जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-अल्मोड़ा के अन्तर्गत सल्ला-भाटकोट से पग्या तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। | 5.00 | 16.91 | 0.10 |
| 4 | गा0 मुख्यमंत्री चौबणा संख्या-2293/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-अल्मोड़ा के अन्तर्गत शीतलाखेत से योरा स्टेट होते हुए श्याहीदेवी मन्दिर तक मोटर मार्ग के विस्तार का कार्य। | 6.00 | 117.13 | 0.10 |
| योग:- | | 18.00
+01 सेतु | 158.76 | 0.40 |

(कुल र चालीस हजार मात्र)

(एस0एस0 पांगती)
उप सचिव

श्री शक्ति सत्यपिब
बहादुर शर्मा,
विभागीय सचिव, सी.नि.वि.
अल्मोड़ा